उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या- 2 /2016/69/2016-57-2016-3(36)/2011
लखनऊ दिनांक: 25 जनवरी, 2016

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

विषय: श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा से होकर लौटने वाले उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक धर्मार्थ कार्य विभाग की विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-94/57-2013-3(36)/2011, दिनांक- 19 फरवरी, 2013 द्वारा विभिन्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले उ0प्र0 राज्य के 50 यात्रियों की सीमा तक मूल निवासियों को यात्रा समाप्ति के पश्चात् प्रति यात्री रू0- 25 हजार का अनुदान तथा शा0 सं0-974/57-2013-3(36)/2011, दिनांक- 24-10-2013 द्वारा उक्त धनराशि बढाकर रू0- 50,000/- स्वीकृत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2- उक्त विज्ञप्ति/प्रकीर्ण दिनांक- 19-02-2013 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के ही अधीन, सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को दिये जाने वाले अनुदान हेतु 50 यात्रियों की संख्या तक सीमित करने के प्राविधान को हटाते हुये 100 यात्रियों की संख्या तक सीमित करने की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से प्रदान करते है।

3- उपरोक्तानुसार, विज्ञप्ति/प्रकीर्ण दिनांक- 19-02-2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4- उक्त पर आने वाला व्यय आय व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101-धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये दान-04-कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान-20-सहायक अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के मद से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-5-25/दस-2016, दिनांक- 22 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2/2016/69/2016(1)/57-2016-3(36)/2011 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सरकारी गजट के साधारण अंक में तत्काल प्रकाशित कराते हुये विज्ञप्ति/प्रकीर्ण की 500 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद, उ0प्र0।

6- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।

8- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।

10- निजी सचिव, मा0 मंत्री, धर्मार्थ कार्य, उ0प्र0।

11- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

12- सामान्य प्रशासन अनुभाग।

13- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
बराती लाल
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।